

**राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)**

क्रमांक एफ 3(1)(2)प्रथम/निर्वा/2021/ 2757

जयपुर, दिनांक 6.7.2023

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय : Use of Vehicle during Elections by Political Parties and Candidates during Election Period-reg.

प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 464/L&O/2023/EPS (Use of Veh.) दिनांक 26 जून, 2023

संदर्भ :	Sl. No.	Letter No.	Dated
	1.	464/INST/2006/PLN-I	17.03.2006
	2.	464/BR-LA/2010	16.10.2010
	3.	464/BR-LA/2010	22.10.2010
	4.	464/INST/2011/EPS	23.03.2011
	5.	464/INST/2011/EPS	23.03.2011
	6.	464/INST/2011/EPS	28.03.2011
	7.	464/INST/2011/EPS	28.03.2011
	8.	464/INST/2013/EPS	08.10.2013
	9.	464/INST/2013/EPS	11.11.2013
	10.	464/INST/2014/EPS	20.03.2014
	11.	464/INST/2014/EPS	03.04.2014
	12.	464/INST/2014/EPS	10.04.2014
	13.	464/INST/2014/EPS	19.09.2014
	14.	464/INST/2015/EPS	30.09.2015
	15.	470/INST/2018-EPS	18.11.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सभी राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं। सभी चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा वाहनों के उपयोग को विनियमित (regulate) करने के लिए, यह आवश्यक है कि सरकारों या उसके सार्वजनिक उपक्रमों या किसी के स्वामित्व वाले या किराए पर लिए गए या नियंत्रित वाहनों के उपयोग पर विस्तृत दिशानिर्देश

1

जारी करना आवश्यक है। यहाँ यह भी आवश्यक है कि धन-बल के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले निजी वाहनों के उपयोग को विनियमित किया जाए।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 में "वाहन" की परिभाषा है, यद्यपि चुनाव प्राधिकारियों द्वारा वाहनों की requisition के संबंध में अलग संदर्भ और बेंचमार्क प्रदान किया जाता है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संदर्भित पत्रों के माध्यम से चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा वाहनों के उपयोग पर समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। वर्तमान में आयोग ने संदर्भित दिशा-निर्देशों की समीक्षा कर मौजूदा निर्देशों के अधिक्रमण में निम्नलिखित बिन्दुओं पर संकलित दिशा-निर्देश जारी किए हैं :-

1. Ban on use of official vehicles :-

- (ए) यहां उल्लिखित अपवादों के अधीन, चुनाव के दौरान प्रचार, चुनाव प्रचार या चुनाव संबंधी यात्रा के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग पर पूर्ण और पूर्ण प्रतिबंध होगा। ऐसे वाहनों में हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, कार, जीप, ऑटोमोबाइल, माल वाहक, ई-वाहन या ई-रिक्शा, दोपहिया वाहन, नाव, होवरक्राफ्ट आदि शामिल हैं, केवल आयोग के संबंधित आदेश द्वारा विनियमित, स्वामित्व या किराए पर या केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों, विपणन बोर्डों (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो), सहकारी समितियों, स्वायत्त जिला परिषदों या अन्य कोई निकाय जिसमें सार्वजनिक धन, चाहे कुल राशि का कितना भी छोटा हिस्सा क्यों न हो, निवेश किया जाता है, द्वारा नियंत्रित वाहनों को छोड़ा जाना है।
- (बी) जिला प्रशासन यह पता लगाने के लिए कड़ी निगरानी रखेगा कि क्या ऐसे किसी सरकारी वाहन का उपयोग प्रचार, चुनाव प्रचार या चुनाव से संबंधित यात्रा के उद्देश्य से किया जा रहा है। ऐसे मामलों में, जिला मजिस्ट्रेट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 के तहत चुनाव कार्य के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद तुरंत ऐसे वाहनों का requisition करेगा या कराएगा और ऐसे वाहनों को तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न न हो जाती हो।
- (सी) सरकारी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध किसी भी चुनाव होने वाले राज्य में या उन चुनाव नहीं होने वाले राज्यों के वाहनों पर भी समान रूप से लागू होगा, जिनके सरकारी वाहनों का उपयोग चुनाव होने वाले किसी अन्य राज्य में, खुले तौर पर या गुप्त रूप से, प्रचार करने के लिये किया जाता है। प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव या संबंधित विभाग या मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव, जैसा भी मामला हो, यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों के अधीन ऐसे वाहन सौंपे गए हैं, ऐसे किसी भी वाहन का दुरुपयोग न हो। किसी भी उल्लंघन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रियों सहित किसी भी व्यक्ति या किन्हीं अधिकारियों से संबंधित ऐसे वाहनों का उपयोग, यहां तक कि भुगतान के आधार पर, चुनाव प्रचार के

लिए या चुनाव से जुड़े दौरों पर, मंत्रियों के रूप में सरकारी कार्य की आड़ में किया जाता है, पूर्णतः प्रतिबंधित है।

- (डी) उपरोक्त निषेध से एकमात्र अपवाद प्रधान मंत्री और अन्य राजनीतिक व्यक्तित्व होंगे, जिन्हें चरमपंथी और आतंकवादी गतिविधियों और उनके जीवन के लिए खतरे को देखते हुए, उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है और जिनकी सुरक्षा आवश्यकताएं वैधानिक प्रावधानों संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये प्रतिबंध भारत के माननीय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति और अन्य ऐसे गणमान्य व्यक्तियों के मामले में भी लागू नहीं होंगे जो एक राज्य से अन्य राज्य का दौरा कर रहे हैं। यहां यह स्पष्ट किया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के मामले में ये प्रतिबंध लोकसभा के आम चुनाव के समय लागू होंगे, लेकिन विधान सभा चुनाव के दौरान नहीं। हालाँकि, ऐसे अपवाद केंद्र या किसी राज्य सरकार के किसी भी मंत्री के संबंध में लागू नहीं होंगे।

2. Review or assessment of security cover :-

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि संदेह करने की कोई सामग्री है कि विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम, 1988 या उपयुक्त सरकारों के किसी अन्य विशेष अधिनियम/निर्देश के तहत अधिकारियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किसी विशेष राजनीतिक दल या उम्मीदवारों के चुनावी हितों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा आवश्यकताओं का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से या अनुचित रूप से बढ़ावा देने के इरादे से अत्यधिक किया गया है। आयोग तत्काल और उचित सुधारात्मक कदमों के लिए मामले को संबंधित सरकार के ध्यान में लाएगा।

आयोग ऐसे किसी भी व्यक्तित्व के संबंध में की गई सुरक्षा आवश्यकताओं के मूल्यांकन के संबंध में केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार से कोई भी जानकारी मांग सकता है। ऐसी जानकारी संबंधित सरकार द्वारा तुरंत आयोग को प्रस्तुत की जाएगी।

3. Issue of permits for vehicle by DEO :-

- (ए) एक उम्मीदवार द्वारा प्रचार या चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। उम्मीदवार को चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले, जिला निर्वाचन अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारियों जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनकी ओर से विशेष रूप से अधिकृत किया जायेगा तथा जो आवश्यक जांच के बाद प्रत्येक वाहन के लिए परमिट जारी करेंगे को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करना होगा :-

i) वाहनों का विवरण जैसे पंजीकरण विवरण, फिटनेस प्रमाण पत्र, मालिकों और ड्राइवरों का नाम और विवरण।

ii) वे क्षेत्र जिनमें चुनाव प्रचार के लिए वाहनों का उपयोग किया जाएगा;

परमिट की मूल प्रति (फोटो कॉपी नहीं) वाहन की wind screen पर प्रदर्शित की जाएगी।

परमिट की प्रति ऐसे आकार की होनी चाहिए जिसे दूर से आसानी से देखा जा सके।

परमिट में वाहन नंबर, परमिट जारी करने की तारीख, उम्मीदवार का नाम और वह क्षेत्र

- जहां इसका उपयोग चुनाव प्रचार के लिए किया जाएगा, शामिल होना चाहिए। ऐसे वाहनों की किसी सक्षम प्राधिकारी या एफएसटी, एसएसटी आदि द्वारा जांच की जाएगी।
- (बी) उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा उपरोक्त अनुसार प्रत्येक वाहन के लिए आवश्यक परमिट प्राप्त करने के बाद ही वाहनों का उपयोग किया जा सकता है।
- (सी) उम्मीदवारों द्वारा प्रचार या चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों का विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव व्यय पर्यवेक्षकों को सूचित किया जाएगा ताकि यह जांचा जा सके कि इस संबंध में व्यय उम्मीदवारों के व्यय खाते में शामिल किया गया है या नहीं।
- (डी) उचित प्राधिकरण या परमिट के बिना प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया कोई भी वाहन उम्मीदवार के लिए प्रचार के लिए अनाधिकृत माना जाएगा और उस पर भारतीय दंड संहिता (चुनाव से संबंधित अपराध) के अध्याय IX A के दंडात्मक प्रावधान लागू हो सकते हैं और इसलिए उसे तुरंत प्रचार अभियान से बाहर कर दिया जाएगा।
- (ई) उम्मीदवारों या उनके चुनाव एजेंटों द्वारा जिला प्रशासन को दी गई सूचना के अनुसार चुनाव प्रचार के लिए विधिवत तैनात किए गए वाहनों की प्रशासन द्वारा requisition नहीं किया जाना चाहिए।
- (एफ) किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अनुरोध पर, जिला निर्वाचन अधिकारी परमिट जारी करेगा, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (स्टार प्रचारक के अलावा) के जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए जिले के भीतर कई विधानसभा क्षेत्रों में दौरे के लिए एक वाहन का उपयोग किया जाएगा। परमिट को वाहन संख्या, राजनीतिक दल का नाम, जिले का नाम, रूट मैप, तिथिवार मूवमेंट प्लान और जारी किये जाने वाली अवधि का ब्यौरा दर्शाते हुए जारी किया जाना चाहिए और अलग-अलग रंग का होना चाहिए ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। एक प्रमाणित प्रति wind screen पर चिपकाई जाएगी और मूल प्रति पुलिस या अन्य सक्षम अधिकारियों या एफएसटी, एसएसटी आदि द्वारा जांच के लिए ड्राइवर के पास रखी जाएगी। इस संबंध में व्यय राजनीतिक दल के खिलाफ दर्ज किया जाएगा, न कि उम्मीदवार के चुनाव व्यय खाते में। यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के मामले में यह प्रावधान लागू होगा।
- (जी) जिला प्रशासन उम्मीदवारों, उनके एजेंटों, राजनीतिक दल के नेताओं या समर्थकों द्वारा निजी वाहनों के दुरुपयोग पर कड़ी नजर रखेगा और उन्हें रोकेगा। इस दुरुपयोग में मतदाताओं के बीच डर पैदा करने के इरादे से असामाजिक तत्वों को ले जाना या गड़बड़ी पैदा करने के लिए अवैध हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी शामिल हो सकती है। यदि इनमें से कोई भी वाहन, किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या किसी निजी मालिक का, ऐसे किसी कृत्य में शामिल पाया जाता है, तो यह स्थानीय प्रशासन का कर्तव्य होगा कि ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया जाए और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें छोड़ा न जाए। इसके अलावा, ऐसे गैरकानूनी कृत्यों में शामिल मालिक, रहने

५

वालों और उम्मीदवार/राजनीतिक दल के खिलाफ कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

4. Issue of permits for vehicles by CEO :-

मुख्य निर्वाचन अधिकारी उन वाहनों के लिए परमिट जारी कर सकते हैं जो निम्नलिखित तरीके से प्रचार सामग्री के वितरण के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के उपयोग के लिए राज्य भर में जा सकते हैं:

- (ए) यदि कोई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल राज्य में अपने विभिन्न पार्टी कार्यालयों में प्रचार सामग्री के वितरण के लिए वाहन की अनुमति देने के लिए सीईओ से अनुरोध करता है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या को 25 (पच्चीस) से एवं राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को 3 (तीन) से विभाजित करने के बराबर वाहनों की संख्या की अनुमति दे सकते हैं, जैसा भी मामला हो, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया है कि यह प्रावधान किसी भी उप-चुनाव की स्थिति में लागू नहीं होगा।
- (बी) मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (आवेदक) को जिलों के नाम, रूट मैप और वाहनों का विवरण, चालक का नाम, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहन की तिथि-वार मूवमेंट प्लान आदि के बारे में विवरण प्रस्तुत करना होगा। ऐसे वाहनों के लिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुमति जारी कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि ऐसे वाहनों की भी सक्षम अधिकारियों, पुलिस, चैक-पोस्ट, एफएसटी, एसएसटी आदि द्वारा सामान्य जांच की जाएगी और इन वाहनों का उपयोग किसी भी तरह से चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। ऐसे वाहनों पर होने वाला खर्च राजनीतिक दल द्वारा किया जाएगा न कि उम्मीदवारों द्वारा।
- (सी) राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार के लिए वीडियो वैन के उपयोग के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी की जाने वाली किसी भी अनुमति के लिए, निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा (Order dated 23rd June 2006 and 14th February 2007 of the Allahabad High Court in Writ Petition 3648 (MB) of 2006):
- (i) अभियान के उद्देश्य से वीडियो वैन का उपयोग करने की अनुमति केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्तर पर दी जा सकती है।
 - (ii) मुख्य निर्वाचन कार्यालय से वीडियो वैन का उपयोग करने की अनुमति मांगने वाले किसी भी राजनीतिक दल/उम्मीदवार को पहले संबंधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। सड़क पर वीडियो वैन चलाने के लिए इस विषय पर मोटर वाहन अधिनियम/ कानून के प्रासंगिक प्रावधानों और अदालत के आदेशों, यदि कोई हो, के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रमाणीकरण आवश्यक है।

15

(iii) वीडियो वैन पर चुनाव प्रचार की सामग्री को MCMCs से pre-certified किया जाएगा। राजनीतिक दल की वीडियो वैन का उपयोग उसके कार्यक्रम एवं नीतियों के आधार पर प्रचार हेतु किया जाना चाहिए। किसी विशेष उम्मीदवार के लिए वोट या समर्थन नहीं मांगा जाना चाहिए। हालाँकि, यदि इसका उपयोग किसी उम्मीदवार/उम्मीदवार के लिए वोट/समर्थन मांगने के लिए किया जाता है तो वीडियो वैन का खर्च ऐसे उम्मीदवार/उम्मीदवार द्वारा उचित रूप से वहन किया जाएगा। व्यय पर्यवेक्षक इस पर बारीकी से नजर रखेंगे।

(iv) हालाँकि चुनाव प्रचार में इस्तेमाल की जा सकने वाली वीडियो वैन की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन व्यय को राजनीतिक दल के चुनाव व्यय खाते में विधिवत शामिल किया जाएगा, जिसे आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि बिंदु (iii) में शर्तों के अधीन प्रावधानित है।

(v) प्रचार/अभियान के लिए उपयोग की जाने वाली वीडियो वैन के मार्ग के बारे में स्थानीय प्रशासन/जिला निर्वाचन अधिकारी को पहले से सूचित किया जाना चाहिए ताकि अभियान स्थलों या सार्वजनिक स्थानों का न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। उल्लंघन के मामले में, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उचित नोटिस के बाद वीडियो वैन की अनुमति वापस ली जा सकती है।

(डी) राजनीतिक दलों के नेताओं (अर्थात् स्टार प्रचारकों) द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण (1) के खंड (a) का लाभ उठाने के लिए, सड़क परिवहन की अनुमति मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा केंद्रीय रूप से जारी किया जाएगा, चाहे पूरे राज्य में चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारक द्वारा एक ही वाहन का उपयोग किया जाना हो या अलग-अलग क्षेत्रों में ऐसे स्टार प्रचारक द्वारा अलग-अलग वाहनों का उपयोग किया जाना हो। परमिट संबंधित स्टार प्रचारक के नाम पर जारी किया जाएगा और किसी भी क्षेत्र में उसके द्वारा उपयोग किए जा रहे वाहन की wind screen पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। सीईओ द्वारा जारी किए गए परमिट सीईओ, डीईओ या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उम्मीदवारों के अन्य प्रचार वाहनों के लिए जारी किए जाने वाले परमिट से बिल्कुल अलग रंग के होंगे।

5. Restriction on number of vehicles to be used during different phases of election

I. When vehicles are moving in convoy :-

(ए) आयोग का निर्देश है कि कारों/वाहनों को, किसी भी परिस्थिति में, सुरक्षा वाहनों को छोड़कर, 10 (दस) से अधिक वाहनों के काफिले में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 10 (दस) वाहनों से अधिक के सभी बड़े काफिले को तोड़ दिया जाएगा, भले ही वे केंद्र या राज्य सरकार के किसी मंत्री या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में जारी किए गए किसी भी सुरक्षा निर्देश के अधीन ले जा रहे हों।

1

इसके अलावा, रोड शो में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के काफिले को हर 10 वाहनों के बाद तोड़ा जाएगा और 100 मीटर का अंतर रखा जाएगा।

- (बी) यहां तक कि जब वाहनों का एक काफिला उपरोक्त उप पैरा (ए) में बताए गए नियमों का पालन कर रहा हो, तब भी यह सुनिश्चित करना स्थानीय प्रशासन का कर्तव्य होगा कि ऐसे वाहनों को आयोग के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करके उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।

II. During Filing of Nominations :-

रिटर्निंग ऑफिसरों/सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों के कार्यालयों की 100 मीटर की परिधि के भीतर अधिकतम 3 (तीन) वाहनों को आने की अनुमति होगी। इस 100 मीटर की परिधि का RO/DEO द्वारा स्पष्ट सीमांकन होना चाहिए।

III. Use of vehicles on poll day :-

- (ए) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(5) में प्रावधान है कि किसी उम्मीदवार/उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से मतदान केंद्र के लिए मतदाताओं को मुफ्त परिवहन प्रदान करने के लिए वाहनों को किराए पर लेना या खरीदना या उपयोग करना 'भ्रष्ट आचरण' होगा और यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 133 के तहत दंडनीय चुनावी अपराध भी है।
- (बी) आयोग ने ऐसे कदाचारों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं :-
- (I) लोकसभा के चुनाव के लिए, प्रत्येक चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार, मतदान के दिन, इसका हकदार होगा :-
- (i) संपूर्ण PC के संबंध में उसके स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन;
 - (ii) PC के संबंध में उसके चुनाव एजेंट के उपयोग के लिए एक वाहन; और
 - (iii) PC में शामिल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, जैसा भी मामला हो, उसके चुनाव एजेंट या कार्यकर्ताओं या पार्टी कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए एक वाहन।
- (II) राज्य विधान सभा के चुनाव के लिए, मतदान के दिन प्रत्येक चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार इसका हकदार है :-
- (i) अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन;
 - (ii) AC के संबंध में उसके चुनाव एजेंट के उपयोग के लिए एक वाहन और
 - (iii) अपने चुनाव एजेंट या कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए एक वाहन।
- (सी) ऊपर बताए गए वाहनों के लिए परमिट रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) द्वारा जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को मतदान के दिन उपयोग किए जाने वाले अपने वाहन का विवरण संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करना होगा और जारी किए गए परमिट

को वाहनों की wind-screen पर प्रदर्शित करना होगा। मंत्रियों, कार्यकर्ताओं, एजेंटों और किसी भी उम्मीदवार के समर्थकों सहित राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा किसी अन्य वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उम्मीदवारों की स्थिति के बावजूद कोई exception नहीं होगा।

IV. Use of vehicle by public :- मतदान के दिन सभी वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और इस तरह जनता के लिए कठिनाइयाँ पैदा करने या परेशान करने का आयोग का कोई इरादा नहीं है। चुनाव के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए वास्तविक उपयोग के लिए, मतदान के दिन निम्नलिखित प्रकार के वाहनों की भी अनुमति दी जाएगी और इसमें कोई exception नहीं होगा :-

- i) निजी वाहनों का उपयोग मालिकों द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए किया जा रहा है, जिनका चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है;
- ii) अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र तक जाने के लिए मालिकों द्वारा निजी वाहनों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन वे किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में नहीं जा रहे हैं;
- iii) आवश्यक सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन जैसे अस्पताल वैन, एम्बुलेंस, दूध वैन, पानी के टैंकर, बिजली आपातकालीन ड्यूटी वैन, ड्यूटी पर पुलिस, चुनाव ड्यूटी पर अधिकारी आदि;
- iv) सार्वजनिक परिवहन गाड़ियाँ जैसे बसें निश्चित टर्मिनलों और निश्चित मार्गों के बीच चलती हैं;
- v) हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अंतरराज्यीय बस अड्डों, अस्पतालों तक जाने के लिए टैक्सी, तिपहिया स्कूटर, रिक्शा आदि, ऐसी यात्रा जिसे टाला नहीं जा सकता;
- vi) बीमार या दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा अपने लिए उपयोग किए जाने वाले निजी वाहन;
- vii) सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने कार्यस्थल पर पहुँचने हेतु उपयोग किए जाने वाले वाहन।

उपर्युक्त प्रतिबंध यांत्रिक शक्ति या अन्य विकल्पों से चलने वाले सभी वाहनों पर लागू होंगे, जिनमें टैक्सी, निजी कार, ट्रक, ट्रेलर वाले या बिना ट्रेलर वाले ट्रैक्टर, ई-वाहन, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, दोपहिया वाहन, मिनी बसें स्टेशन वैगन आदि भी शामिल हैं, और मतदान बंद होने के लिए निर्धारित समय से 24 घंटे पहले और मतदान पूरा होने तक लागू किया जाएगा।

6. Use of vehicles not propelled by mechanical power :-

चुनाव प्रचार के लिए साइकिल रिक्शा, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी आदि का उपयोग किया जा सकता है; इसलिए, उम्मीदवार को अपने चुनाव व्यय खाते में इसके व्यय का हिसाब देना होगा। उम्मीदवार को अपने चुनाव अभियान के लिए उपयोग किए जाने वाले ऐसे वाहनों का

५

विवरण देना होगा और, यदि ऐसे वाहनों के पास इसकी पहचान के लिए कोई नगरपालिका पंजीकरण/परमिट नहीं है, तो ड्राइवरों/मालिकों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उनके व्यक्तिगत नाम पर परमिट दिया जा सकता है। जिसे अभियान के प्रयोजनों के लिए ऐसे वाहनों का उपयोग करते समय ड्राइवरों/मालिकों को अपने साथ रखना चाहिए।

7. Display of vehicles :-

वाणिज्यिक वाहनों पर झंडे, स्टिकर, पोस्टर आदि के प्रदर्शन की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसा वाहन निर्दिष्ट प्राधिकारी से अपेक्षित परमिट प्राप्त करने के बाद चुनाव प्रचार के लिए वैध रूप से उपयोग किया जा रहा हो।

8. Responsibility to comply with all Laws :-

उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों के नेताओं की जिम्मेदारी होगी कि वे ऐसे सभी वाहनों के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों या निर्देशों का पालन करें जिनके विरुद्ध चुनाव अवधि के दौरान उपयोग की अनुमति दी गई है। उपरोक्त उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, भारतीय दंड संहिता के अध्याय IX A मोटर वाहन अधिनियम आदि के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

9. Compliance of Model Code of Conduct to be ensured:-

सरकारी वाहनों के उपयोग, हवाई संपत्तियों के उपयोग, निजी वाहनों के उपयोग, छूट और संबंधित मुद्दों के संबंध में आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा, यदि अनुपालन के लिए इन निर्देशों को पहले से ही राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा शामिल नहीं किया गया है, जैसा भी मामला हो।

10. Permits to be expeditiously issued :-

जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव के दौरान वाहनों के उपयोग के परमिट राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा आवेदन जमा करने के दिन ही शीघ्र और परेशानी मुक्त तरीके से जारी किए जाएं, बशर्ते आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जमा हो। यदि आवेदन उस दिन शाम 6:00 बजे के बाद जमा किए जाते हैं, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परमिट अगले दिन जारी किए जाएं।

11. Suvidha Portal :-

यह पोर्टल उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के किसी भी प्रतिनिधि को SUVIDHA पोर्टल <https://suvidha.eci.gov.in/> के माध्यम से वाहनों, बैठकों, रैलियों, लाउडस्पीकरों, स्थल आदि की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति देता है। वे उसी पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

1

अतः आयोग द्वारा जारी प्रासंगिक संकलित दिशा-निर्देश समस्त रिटर्निंग अधिकारियों एवं चुनाव संबंधी प्राधिकारियों के साथ-साथ राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों के ध्यान में लाया जावे एवं आगामी समस्त आम/उप चुनावों में अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवायी जावे।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(प्रवीण गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ 3(1)(2)प्रथम/निर्वा/2021/2757 जयपुर, दिनांक 6.7.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी(आई.टी.), राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, व्यय अनुवीक्षण शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा-प्रथम ए, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रभारी अधिकारी, आदर्श आचार संहिता शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल, राजस्थान।
11. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राज्यीय दल, राजस्थान।
12. समस्त पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान।

विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।



भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

Tel. No. 011-23052144

Fax 011-23052001

Website: www.eci.gov.in

निर्वाचन सदन
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

Nirvachan Sadan
Ashoka Road, New Delhi-110001

No.464/L&O/2023/EPS(Use of Veh.)

Dated:26th June, 2023

To

The Chief Electoral Officers of
all States/UTs

**Subject: USE OF VEHICLE DURING ELECTIONS BY POLITICAL
PARTIES AND CANDIDATES DURING ELECTION PERIOD-
REGARDING.**

Reference: Commission's Instructions on the subject:

- (i) No.464/INST/2006/PLN-I dated 17.03.2006
- (ii) No.464/BR-LA/2010 dated 16.10.2010
- (iii) No.464/BR-LA/2010 dated 22.10.2010
- (iv) No.464/INST/2011/EPS dated 23.03.2011
- (v) No.464/INST/2011/EPS dated 23.03.2011
- (vi) No.464/INST/2011/EPS dated 28.03.2011
- (vii) No.464/INST/2011/EPS dated 28.03.2011
- (viii) No.464/INST/2013/EPS dated 08.10.2013
- (ix) No.464/INST/2013/EPS dated 11.11.2013
- (x) No.464/INST/2014/EPS dated 20.03.2014
- (xi) No.464/INST/2014/EPS dated 03.04.2014
- (xii) No.464/INST/2014/EPS dated 10.04.2014
- (xiii) No. 464/INST/2014/EPS dated 19.09.2014
- (xiv) No.464/INST/2015/EPS dated 30.09.2015
- (xv) No.470/INST/2018-EPS dated 18.11.2018

Madam/Sir,

All political parties and candidates contesting election use various kinds of vehicles for their election campaigns. In order to regulate use of vehicles by political parties and candidates to ensure level playing field amongst all contesting political parties and candidates, it is essential to issue detailed guidelines on use of vehicles, owned or hired or controlled by the Governments or its PSUs or any local authorities, which are termed as 'official vehicles' here, during the election period. It is also essential that use of private vehicles used by political parties and candidates are regulated during election

period to control use of money power.

Section 160 of Representation of the People Act 1951 has definition of "vehicle", although in a different context of requisition of vehicles by election authorities, and provides a benchmark for reference.

Following are the consolidated instructions, in supersession of the Commission's instructions under reference, on the use of vehicles by political parties and candidates during election period:

1. Ban on use of official vehicles:

(a). Subject to exceptions mentioned herein, there shall be a total and absolute ban on the use of *official vehicles* for campaigning, electioneering or election related travel during elections. Such vehicles include helicopters, aircrafts, cars, jeeps, automobiles, goods carriers, e-vehicles or e-rickshaws, two wheelers, boats, hovercrafts, etc., except as regulated by the Commission's order on the subject, owned or hired or controlled by the Central and State Governments, Central Public Sector Organizations, Public Sector Undertakings and Joint Sector Undertakings of the Central and State Governments, Local Authorities and Local Bodies, Marketing Boards (by whatever name known), Cooperative Societies, Autonomous District Councils or any other body in which public funds, howsoever small a portion of the total, are invested.

(b). The District Administration shall keep a close watch to find out if any such official vehicle is being used for campaigning, electioneering or election related travel purpose. In such cases, the District Magistrate shall, forthwith, requisition or cause to be requisitioned such vehicles, after following due procedure, for election work, under Section 160 of the Representation of the People Act, 1951 and such requisitioned vehicles shall not be released until the completion of the process of elections.

(c). The ban on the use of official vehicles will equally apply to vehicles in or from any States not going to the polls but whose *official vehicles* are attempted to be used for campaign, either openly or clandestinely, in any other State going to poll. The Chief Secretary of each State/Union Territory or the Secretary to the Government of India in the concerned Department or Ministry,



as the case may be, shall ensure that there is no misuse of any such vehicles. The officers under whose charge such vehicles are entrusted will be personally responsible for any violation.

The use of such vehicles belonging to any of these authorities by anyone, including Ministers of the Central or a State Government, even on payment basis, for campaigning or on tours connected with elections, in the guise of, official work in their capacity as Ministers is totally prohibited.

(d). The only exception from the above prohibition will be the Prime Minister and other political personalities, who might, in view of extremist and terrorist activities and threat to their lives, require security of a high order and whose security requirements are governed by statutory provisions made by the Parliament or the State Legislature in this behalf. These restrictions shall also not be applicable in case of the Hon'ble President and Vice President of India, Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha and Deputy Chairman of Rajya Sabha and other such dignitaries visiting the State from other States. It is clarified here that in the case of Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha and Deputy Chairman of Rajya Sabha, these restrictions **will be applicable at the time of General Elections to the Lok Sabha but not during Legislative Assembly Elections**. However, such exceptions shall not be available in respect of any Ministers of the Union or any State Government.

2. Review or assessment of security cover:

It is clarified that if there is any material to doubt that the assessment of security requirements made by the authorities under Special Protection Group Act, 1988 or any other special enactment/instruction of the appropriate Governments have been manifestly or unduly excessive with the intention of promoting indirectly the electoral interests of a particular political party or candidates, the Commission shall bring the matter to the notice of the concerned Government for immediate and appropriate corrective steps.

The Commission may also call for any information from the Central Government or the State Government concerned with regard to the assessment of the security requirements made in respect of any such personality. Such information shall be furnished to the Commission by the concerned



Government forthwith.

3. Issue of permits for vehicles by DEO:

(a) There is no limit on number of vehicles a candidate may use for campaigning or electioneering purpose. The candidate has to furnish *following* details, before the campaigning commences, to the District Election Officer or such other officer(s) as may be specifically authorized by the District Election Officer in his behalf, who after necessary scrutiny would issue permits for every vehicle:

- i) Details of vehicles such as registration details, fitness certificates, name and particulars of the owners and drivers.
- ii) Areas in which vehicles would be used for campaigning purposes;

The original copy (*not the photo copy*) of permit shall be displayed on the wind screen of the vehicle. The copy of the permit should be of such dimension which can easily be seen from a distance. Permit must contain the vehicle number, date of issue of permit, name of candidate and area where it shall be used for campaigning. Such vehicles shall be subject to checks by any competent authorities or FST, SST etc.

(b) Vehicles can only be used after obtaining necessary permits for every such vehicle, as above, by the candidate or his/her election agent.

(c) Details of vehicles used for campaigning or electioneering purpose by candidates shall be conveyed to Election Expenditure Observers by District Election Officer to check whether the expenditure in this regard has been included in the expenditure account of the candidates.

(d) Any vehicle used for campaigning without due authorization or permit shall be deemed unauthorized for campaigning for the candidate and may attract penal provisions of Chapter IX A of the Indian Penal Code (*Offences Relating to Elections*) and shall therefore be immediately taken out of the campaigning exercise.

(e) The vehicles duly deployed for election campaign as per intimation given by the candidates or their election agents to District Administration should not be requisitioned by the administration.

(f) On request of a recognized political party, the DEO shall issue permit

for one vehicle to be used by the district level office bearer of a recognized political party (other than the star campaigner) for their visit to multiple ACs within the district for electioneering purposes. The permit should be issued indicating the vehicle number, the name of political party, name of district, route map, date wise movement plan and the period for which it is issued and should be of different color so that it can easily be identified. An attested copy shall be pasted on wind screen and original be kept with the driver for checking by police or other competent authorities or FST, SST etc. The expenditure in this regard shall be booked against the political party and not in the election expense account of the candidate(s). It is clarified that this provision will be applicable in case of any by-election in a constituency.

(g) The District Administration shall keep a close watch and prevent the misuse of private vehicles by candidates, their agents, political party leaders or supporters. This misuse may include transporting anti-social elements with the intent to instill fear among the electorate or smuggling illicit arms and ammunition to create disturbances. If any of these vehicles, either of a political party or candidates or a private owner, are found to be involved in any such act, it shall be the duty of the local administration to impound such vehicles and not to release them till the process of elections is completed. In addition, legal action in accordance with the law shall be taken against the owner, occupant(s) and the candidate/political party involved in such unlawful acts.

4. Issue of permits for vehicles by CEO-

The Chief Electoral Officer may issue permits for vehicles that can move throughout the State for use of officer bearers of recognized political parties for distribution of campaign material in following manner:

- (a) If any recognized political party makes a request to CEO for grant of vehicle permission for distribution of publicity material to their various party offices in the State, the CEO may grant permission for number of vehicles equal to Number of Assembly Constituencies in the State divided by 25 (Twenty-five) or Number of Parliamentary Constituencies in the State divided by 3 (Three), as the case may be,

rounded off to the nearest integer. It is clarified that this provision will not be applicable in case of any by-election.

- (b) The recognized political party (the applicant) will have to furnish the details regarding the names of the districts, the route map and details of the vehicles, name of the driver, fitness certificate, date-wise movement plan of the vehicle etc. For such vehicles, the CEO may issue permission, but ensure that such vehicles will also be subject to normal checks by competent authorities, police, check-posts, FST, SST etc. and these vehicles will not be used for election campaigning in anyway. The expenditure on account of such vehicles shall be incurred by the political party and not by the candidates.
- (c) For any permission to be issued by CEO for use of Video Vans for campaigning by political parties, the compliance of the following guidelines shall be ensured (*Order dated 23rd June 2006 and 14th February 2007 of the Allahabad High Court in Writ Petition 3648 (MB) of 2006*):
 - (i) The permission to use Video Vans for campaign purpose can be granted at Chief Electoral Officer level only.
 - (ii) Any political party/candidate seeking permission to use video vans from Chief Electoral Office should first obtain necessary permissions/no objection certificates from the Competent Authority under the relevant Motor Vehicle Act. This certification is required to ensure the conformity with the Motor Vehicle Act/relevant provisions of law and Court orders, if any, on this subject for plying of Video Vans on the road.
 - (iii) The contents of material for election publicity on the Video Van shall be pre-certified from MCMCs. The video van of the political party should be used to campaign based on its program and policies. Votes or support for any particular candidate should not be solicited. However, if it is used for seeking votes/support for a candidate/candidate then expenditure of video van shall be accounted for by such candidate/candidates appropriately. Expenditure Observers to closely monitor this.
 - (iv) Though there is no restriction on the number of Video Vans which can be used in campaigning, but the expenditure

incurred shall be duly included in the election expenditure account of the political party, to be submitted to the Commission, as provided, subject to condition in point (iii).

- (v) Route of Video Vans to be used for publicity/campaigning should be informed to local administration/District Election Officer in advance to ensure equitable use of campaign sites or public places. In case of violation, the permissions for Video Van may be withdrawn, after due notice, by CEO.

- (d) For availing the benefit of clause (a) of explanation (1) of Section 77 (1) of Representation of the People Act 1951 by the leaders of the political parties (i.e., ***star campaigners***), the permission for the mode of road transport will be issued centrally by the Chief Electoral Officer, irrespective of whether the same vehicle is to be used by the *star campaigner* for election campaigning throughout the State or different vehicles are to be used by such *star campaigner* in different areas. The permit will be issued against the name of the *star campaigner* concerned and shall be displayed prominently on the windscreen of the vehicle being used by him/her in any area. The permits so issued by the CEO will be of distinctly different color from the permits to be issued by the CEO, DEO or any competent authorities for other campaign vehicles of candidates.

5. Restriction on number of vehicles to be used during different phases of election:

I. When vehicles are moving in convoy:

- (a) The Commission directs that cars/vehicles shall, under no circumstances, be allowed to move in convoys of more than *ten vehicles*, excluding the security vehicles. All bigger convoys exceeding ten vehicles shall be broken up, even if, they are carrying any Minister of Central or State Government or any other person subject to any security instructions issued in respect of any such individual. Further, the convoy of vehicles being used in road show shall be broken after every 10 vehicles and a gap of 100 meters would be maintained.



(b) Even when a convoy of vehicles is adhering to the regulations stated in sub para (a) above, it shall be the duty of the local administration to ensure that such vehicles are not allowed to be used by flouting *any* directions of the Commission, till the process of election is completed.

II. During Filing of Nominations:

The maximum of three vehicles shall be allowed to come within the periphery of 100 meters of offices of Returning Officers/Assistant Returning Officers. This periphery of 100 meters should be clearly demarcated by RO/DEO.

III. Use of vehicles on poll day:

- (a) Section 123(5) of the Representation of the People Act 1951 provides that hiring or procuring or use of vehicles by a candidate/his agent or by any other person with the consent of the candidate or his election agent to provide free conveyance to the voters for the polling station shall be a 'corrupt practice' and it is also an electoral offence punishable under Section 133 of the Representation of the People Act 1951.
- (b) The Commission has issued the following directions to curb such malpractices effectively:
- (I) For an *election to Lok Sabha*, each contesting candidate, on the day of poll, will be entitled to:
- (i) One vehicle for his own use in respect of entire PC;
 - (ii) One vehicle for use of his election agent in respect of PC; and
 - (iii) One vehicle for use of his election agent or workers or party workers, as the case may be, in every assembly segment comprised in the PC.
- (II) For an *election to the State Legislative Assembly*, on the day of poll each contesting candidate is entitled to:
- (i) One vehicle for his own use;
 - (ii) One vehicle for use of his election agent in respect of



AC; and

(iii) One vehicle for use of his election agent or workers

- (c) The permits for the vehicles indicated above will be issued by the Returning Officer (RO). The candidates must furnish particulars of their vehicle to be used on poll day to RO concerned and shall display the permits issued on the wind-screen of the vehicles. *No other vehicle shall be allowed to be used by the leaders of the political parties including Ministers, workers, agents and sympathizers of any candidate and no exception shall be made, irrespective of the status of the candidates.*

IV. Use of vehicle by public: There is no intention on the part of the Commission to put a complete ban on all vehicular traffic on the polling day and thereby create difficulties or cause harassment to the public. For genuine *bona fide* use for purposes other than election, the following types of vehicles shall also be allowed on the day of poll and there will be no exception to this:

- i) Private vehicles being used by the owners for their private use, not connected with elections;
- ii) Private vehicles being used by owners either for themselves or for members of their own family for going to the polling booth to exercise their franchise, but not going anywhere within a radius of 200 meters of any Polling Stations;
- iii) Vehicles used for essential services namely hospital vans, ambulances, milk vans, water tankers, electricity emergency duty vans, police on duty, officer on election duty etc.;
- iv) public transport carriages like buses playing between fixed terminals and on fixed routes;
- v) Taxis, three-wheeler scooters, rickshaws etc. for going to airports, railway stations, inter-state bus stands, hospitals for journey which cannot be avoided;

vi) Private vehicles used by sick or disabled persons for their own use;

vii) Vehicles being used by the Govt. officers on duty to reach their duty point.

The abovementioned restrictions shall apply to all vehicles propelled by mechanical power or otherwise, including but not restricted to taxis, private cars, trucks, tractors with or without trailers, e-vehicles, auto-rickshaw, e-rickshaws, two wheelers, mini buses, station wagons etc., also, and shall be made applicable for a period of 24 hours before the time fixed for closure of poll and till the completion of poll.

6. Use of vehicles not propelled by mechanical power:

A cycle rickshaw, horse drawn carriages, bullock carts etc. are capable of being used for election campaigning; hence, the candidate has to account for its expenditure in his/her account of election expenses. The candidate shall give details of such vehicles being used for his/her election campaign and, if such vehicles do not have any municipal registration/permit for its identification, the drivers/ owners may be given a permit in their personal names by the Returning Officer which the drivers/ owners should carry on their person while using such vehicles for campaign purposes.

7. Display of vehicles:

Display of flag, stickers, posters etc. on commercial vehicles shall not be permitted unless such vehicle is a vehicle being validly used for election campaign after obtaining the requisite permit from the specified authority.

8. Responsibility to comply with all Laws:

Candidates or leaders of Political Parties shall have responsibility to follow all the guidelines or directions issued by competent authority under the Motor Vehicles Act for all such vehicles against which permission is given to use during election period. Penal action, under the provisions of the Representation of the People Act 1951, Chapter IX A of the Indian Penal Code, Motor Vehicles Act etc., shall be taken against anyone offending the above



directions.

9. Compliance of Model Code of Conduct to be ensured:

All provisions of the Model Code of Conduct, issued by the Commission, pertaining to use of official vehicles, use of air assets, use of private vehicles, exemptions and all connected issues shall be complied, if not already covered in this instruction for compliance, by the political parties and candidates, as the case may be.

10. Permits to be expeditiously issued:

District Election Officer shall ensure that permits to use vehicles during elections are issued expeditiously and hassle-free manner, preferably, on the same day of the submission of the applications by political parties and candidates, provided all the required documents are submitted along with the applications. If applications are submitted after 6:00 pm on the day, it shall be ensured that permits are issued on the next day.

11. Suvidha Portal:

This Portal allows the candidates, political parties or any representatives of the candidates to apply online for the permission *inter alia* for vehicles, meetings, rallies, loudspeakers, venue etc. through SUVIDHA Portal <https://suvidha.eci.gov.in/> and they may track their application status through the same portal.

This is for compliance by all concerned.

Yours faithfully



(SANJEEV KUMAR PRASAD)
SECRETARY